[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज श्रीमती नीता बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 137/2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नीता गेहलोत धर्मपत्नी पुरूषोतमजी जाति माली,पता पुरानी दाल मिल अस्तल नागोरीगेट के अन्दर, ब्राह्मणों की चक्की के सामने की गली, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.05.2017 में उसके द्वारा (1) ग्राम पूंदला तहसील जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 431/180 रकबा 19 बिस्वा, ख.नं. 182/2 रकबा 1.6 बीघा तथा 250/1/1 रकबा 6.14 बीघा के संबंध में प्रार्थीया द्वारा अपने पति पुरूषोतम पुत्र सीताराम की मृत्यु होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो तहसील कार्यालय के आवक जावक रजिस्टर के कम सं0 2085 दिनांक 25.04.17 पर दर्ज किया गया इस प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्रों की प्रमाणित प्रति दिलाये जाने व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	